4.1.19

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 व 9 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 13 बन्ना पुत्र किशना का स्वर्गवास दिनांक 10.06.2014 को चुका हैं, रेस्पोडेन्ट संख्या 15 नानू पुत्र धन्ना का स्वर्गवास दिनांक 31.08.2013 को चुका हैं, रेस्पोडेन्ट संख्या 17 हनुमान पुत्र भंवरलाल का स्वर्गवास करीब 2 वर्ष पूर्व हो चुका हैं । अपीलांट ग्रामिण परिवेश की काश्तकार महिला है जिसे कानूनी तकनीकियों की कोई जानकारी नही हैं एवं अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया हैं। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दिनांक 19.06.2016 को न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये जिस पर तामीली रिपोर्ट से अपीलांट के अभिभाषक को दिनांक 02.01.2017 के अवलोकन से हुई हैं। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा सभी मृतक रेस्पोडेन्टस के वारिसान के नाम एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 13 व 15 के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर अभिभाषक को दिनांक 27.03.2017 को दी जिस पर अभिभाषक के निर्देशानुसार अपीलांट उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में क्षमा एवं स्वतः हुए अबेटमेन्ट को अपास्त किया जाकर उक्तरोक्त मृतक रेस्पोडेन्ट संख्या 13 बन्ना, रेस्पोडेन्ट संख्या 15 नानू, रेस्पोडेन्ट संख्या 17 हनुमान के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 व 25 ने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपीलांट स्वंय द्वारा प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 13, 15, व 17 की मृत्यु तिथियॉ 10.06.2014 एवं 31.08.2013 वर्णित की गई हैं तथा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जबकि अपील दिनांक 19.09.2016 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई इस प्रकार प्रमाणित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 13, 15 व 17 की मृत्यु अपील प्रस्तुत किये जाने से 02 व 03 वर्ष ही हो चुकी हैं इस कारण अपील में आदेश 22 नियम 4 एवं 09 सपठित धारा 151 जा.दी. के प्रावधान लागू नहीं होने से प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया साथ ही अपीलांट के विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद के विचाराधीन रहते हुए प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र अभिभाषक श्री अनुज माथुर के माध्यम से दिनांक 03.1.2014 को प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली से अवलोकन करवाया गया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथनो के

लगातार

अपील [illegible]

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री [illegible] श्री [illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

लगातार

समर्थन में आर.बी.जे. 2016 पेज 625 एवं आर.आर.टी. 2012 (1) पेज 189 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा उक्त आधारो का पुनः जवाब देते हुए निवेदन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.2016 मृतक के विरूद्ध पारित किये जाने से अवैध व शून्य हैं जिसका जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 13, 15, व 17 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 11, 13, 15 के रूप में संयोजित होकर व्यक्तिगत सम्मन तामिली के उपरान्त भी ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए ना ही जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.02.2012 द्वारा उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लायी गई ऐसे पक्षकारों की दावे के विचाराधीन रहते हुए मृत्यु होकर सूचना न्यायालय मे प्रस्तुत नहीं होने पर न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित कि जाती हैं तो उसे मृतक के विरूद्ध नहीं माना जा सकता। जिसके सम्बन्ध में अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा आदेश 22 नियम 4 (4) जा.दी. का अवलोकन करवाते हुए अपने कथनो के समर्थन में आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 598 मान्नीय उच्चतम न्यायालय का न्याकिय दृष्टात प्रस्तुत किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो एवं विधि प्रावधानों का ससम्मान अध्ययन किया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा.दी. में यह अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 13 बन्ना पुत्र किशना का स्वर्गवास दिनांक 10.06.2014 को, रेस्पोडेन्ट संख्या 15 नानू पुत्र धन्ना का स्वर्गवास दिनांक 31.08.2013 को व रेस्पोडेन्ट संख्या 17 हनुमान पुत्र भंवरलाल का स्वर्गवास करीब 2 वर्ष पूर्व हो चुका है और अपील दिनांक 19.09.2016 को प्रस्तुत की हैं यानि कि अपील मृतक के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। इस कारण अपील में आदेश 22 नियम 4 एवं 09 सपठित धारा 151 जा.दी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2012(1) पेज 189 से सहमत हैं कि मृत्य व्यक्ति के विरूद्ध अपील शून्य प्रभावी व खारिज होने योग्य हैं।

अतः उक्तानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा.दी. खारिज किया जाता है तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश किए जाने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी